



# HAMIRPUR POLICE



थाना ललपुरा

दिनांक 28.01.2023

## प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹11500 प्रत्येक को अर्थदंड की सजा दिलाई गई।

जनपद हमीरपुर पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी में न्यायालय (विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट) द्वारा 02 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 78/02 अन्तर्गत धारा- 323,324,326,504,506, IPC में नामजद अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उर्फ दरबारी व 2. सुरेश पुत्र सूरज पाल सिंह निवासीगण उजनेड़ी थाना ललपुरा हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹11500 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।